जीसीएमएस नं.2024 / 151

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 05 / 2024

राज्य सरकार जरिये कविता, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री जगदीश नाथ पुत्र श्री पालाराम, निवासी नरसिंहपुरा, तह. पदमपुर, श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्तशुदा सामग्री 20 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय एलपीजी गैस 277.6 किलोग्राम तथा 06 पाईप, 01 रेगुलेटर एवं 01 पेटीएम क्यूआर कोड को राजसात करने बावत।

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अप्रार्थी अधिवक्ता संतोख सिंह।

निर्णय दिनांकः 30.05.2025

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि गांव नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर स्थित बुडानिया मार्केट की एक दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रिफिलिंग के कार्य में उपयोग किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ दिनांक 21.09.2024 को बुडानिया मार्केट की एक दुकान पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर **श्री जगदीशनाथ पुत्र श्री पालाराम आयु 40 वर्ष जाति नाथ निवासी नरसिंहपुरा 3 तहसील पदमपुर** उपस्थित मिला जिन्होने स्वयं को उक्त दुकान का मलिक बताया। श्री जगदीशनाथ पुत्र श्री पालाराम आयु 40 वर्ष जाति नाथ निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर की उपस्थिति में दुकान की जांच में पाया कि दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रिफिलिंग के कार्यो में उपयोग किया जाता है। मौके पर 20 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध गैस रिफलिंग में प्रयुक्त होने पाये गये। मौके पर परिसर में 01 बांसुरी, 02 रिफलिंग मोटर, 03 गैस पाईप पायी गयी जिसका उपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किया जाता है। मौके पर 20 घरेलू गैस सिलेण्डर जिसमें से 16 सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी तथा 4 सिलेण्डर इंडेन गैस कम्पनी के है। मौके पर रिफलिंग मोटर, बांसुरी, गैस पाईप तथा 20 घरेलू गैस सिलेण्डर वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण/ उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री जगदीशनाथ पुत्र श्री पालाराम द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री जगदीशनाथ पुत्र श्री पालाराम की दुकान पर पाये गये 20 घरेलू गैस सिलेण्डरों को जरिये फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं **काशीराम पुत्र श्री रामकुमार उम्र 35 वर्ष जाति जाट, गोदाम कीपर, श्री दुर्गा इंडेन गणेशगढ़, श्रीगंगानगर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। श्री जगदीशनाथ पुत्र श्री पालाराम द्वारा

अति0 जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग करते हुए अवैध गैस रिफिलिंग कार्य में किया जा रहा था। जगदीशनाथ पुत्र श्री पालाराम के द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर से अवैध गैस रिफिलिंग का कृत्य कर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से 20 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 277.6 किलो एलपीजी गैस तथा 01 बांसुरी, 02 रिफलिंग मोटर, 03 गैस पाईप को राजसात करने का आदेश फरमावें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाव के कथनों को ही वहस में दोहराते हुए कथन किया कि

1. यह कि प्रार्थी को आप श्रीमान न्यायालय द्वारा प्रेपित नोटिस : रीडर/25/183 दिनांकित 31.01.2025, अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम प्राप्त हुआ जिसमें आप द्वारा कहा गया कि प्रार्थी की दुकान का निरीक्षण करने पर प्रार्थी की दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रिफलिंग के कार्यों में उपयोग किया जाता है व मौके पर 20 घरेलू सिलेण्डर 1 बांसुरी दो रिफलिंग मोटर 3 गैस पाईप पाई गई जिसका उपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किया जाता है जबकि वास्तविकता यह है कि जिस दुकान पर उक्त जांच की गई है वह ना तो प्रार्थी के नाम से है व ना ही उक्त दुकान पर प्रार्थी कोई कारोबार करता है व ना ही प्रार्थी गैस सिलेण्डर एवं रिफलिंग का कार्य करता है और ना ही प्रार्थी उक्त जांच के समय व उक्त दुकान में मौजूद था। प्रार्थी का नाम बिना किसी वजह से उक्त प्रकरण में जोड़ा गया है जिससे प्रार्थी का कोई संबंध व सरोकार नहीं है।

2. यह कि आप द्वारा जांच में जो उपरोक्त सामान 20 घरेलू सिलेण्डर 1 बांसुरी दो रिफलिंग मोटर 3 गैस पाईप दिखायें गये हैं, उक्त सामान प्रार्थी का नहीं है व ना ही प्रार्थी द्वारा उक्त सामान का कभी इस्तेमाल किया गया है। उक्त सिलेण्डर उक्त दुकान पर कैसे आये व उक्त सामान कहां से आया प्रार्थी को उक्त सामान का पता नहीं है। प्रार्थी को बाद में ज्ञात हुआ कि उक्त सिलेण्डर वहां पर शादी प्रोग्राम के लिए इकट्ठे किये हुए जो कि खाली थे।

3. यह कि प्रथम दृष्टया अवलोकन से उक्त प्रकरण प्रार्थी के विरूद्ध धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नहीं बनता है क्योंकि ना तो प्रार्थी उक्त दुकान का मालिक है व ना ही प्रार्थी के नाम है।

अतः प्रार्थी का जवाब नोटिस स्वीकार कर प्रार्थी के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही को यथास्थिति ड्रोप (बन्द) किया जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि गांव नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर स्थित बुडानिया मार्केट की एक दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रिफिलिंग के कार्य में उपयोग किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

[..]कारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ दिनांक 21.09.2024 को बुडानिया मार्केट की एक दुकान पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर **श्री जगदीशनाथ पुत्र श्री पालाराम आयु 40 वर्ष जाति नाथ निवासी नरसिंहपुरा 3 तहसील पदमपुर** उपस्थित मिला जिन्होने स्वयं को उक्त दुकान का मलिक बताया। श्री जगदीशनाथ पुत्र श्री पालाराम आयु 40 वर्ष जाति नाथ निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर की उपस्थिति में दुकान की जांच में पाया कि दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रिफिलिंग के कार्यों में उपयोग किया जाता है। मौके पर 20 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध गैस रिफलिंग में प्रयुक्त होने पाये गये। मौके पर परिसर में 01 बांसुरी, 02 रिफलिंग मोटर, 03 गैस पाईप पायी गयी जिसका उपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किया जाता है। मौके पर 20 घरेलू गैस सिलेण्डर जिसमें से 16 सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी तथा 4 सिलेण्डर इंडेन गैस कम्पनी के है। मौके पर रिफलिंग मोटर, बांसुरी, गैस पाईप तथा 20 घरेलू गैस सिलेण्डर वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण/ उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री जगदीशनाथ पुत्र श्री पालाराम द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री जगदीशनाथ पुत्र श्री पालाराम की दुकान पर पाये गये 20 घरेलू गैस सिलेण्डरों को जरिये फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं **काशीराम पुत्र श्री रामकुमार उम्र 35 वर्ष जाति जाट, गोदाम कीपर, श्री दुर्गा इंडेन गणेशगढ़, श्रीगंगानगर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। श्री जगदीशनाथ पुत्र श्री पालाराम द्वारा द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग करते हुए अवैध गैस रिफिलिंग कार्य में किया जा रहा था। जगदीशनाथ पुत्र श्री पालाराम के द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर से अवैध गैस रिफिलिंग का कृत्य कर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से 20 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 277.6 किलो एलपीजी गैस तथा 01 बांसुरी, 02 रिफलिंग मोटर, 03 गैस पाईप को राजसात करने का आदेश किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि गांव नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर स्थित बुडानिया मार्केट की एक दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रिफिलिंग के कार्य में उपयोग किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ दिनांक 21.09.2024 को बुडानिया मार्केट की एक दुकान पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर **श्री जगदीशनाथ पुत्र श्री पालाराम आयु 40 वर्ष जाति नाथ निवासी नरसिंहपुरा 3 तहसील पदमपुर** उपस्थित मिला जिन्होने स्वयं को उक्त दुकान का मलिक बताया। श्री जगदीशनाथ पुत्र श्री पालाराम आयु 40 वर्ष जाति नाथ निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर की उपस्थिति में दुकान की जांच में पाया कि दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रिफिलिंग के कार्यों में उपयोग किया जाता है। मौके पर 20 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध गैस रिफलिंग में प्रयुक्त होने पाये गये। मौके पर परिसर में 01 बांसुरी, 02 रिफलिंग मोटर, 03 गैस पाईप पायी गयी जिसका उपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किया जाता है। मौके पर 20 घरेलू गैस सिलेण्डर जिसमें से 16 सिलेण्डर भारत गैस

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

कम्पनी तथा 4 सिलेण्डर इंडेन गैस कम्पनी के है। मौके पर रिफलिंग मोटर, बांसुरी, गैस पाईप तथा 20 घरेलू गैस सिलेण्डर वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण/ उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री जगदीशनाथ पुत्र श्री पालाराम द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। श्री जगदीशनाथ पुत्र श्री पालाराम की दुकान पर पाये गये 20 घरेलू गैस सिलेण्डरों को जरिये फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं **काशीराम पुत्र श्री रामकुमार उम्र 35 वर्ष जाति जाट, गोदाम कीपर, श्री दुर्गा इंडेन गणेशगढ़, श्रीगंगानगर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

इस प्रकार **श्री जगदीशनाथ पुत्र श्री पालाराम** द्वारा द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग करते हुए अवैध गैस रिफिलिंग कार्य में किया जा रहा था। जगदीशनाथ पुत्र श्री पालाराम के द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर से अवैध गैस रिफिलिंग का कृत्य कर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः अप्रार्थी **श्री जगदीशनाथ पुत्र श्री पालाराम** से मौके पर जब्त 20 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 277.6 किलो एलपीजी गैस तथा 01 बांसुरी, 02 रिफलिंग मोटर, 03 गैस पाईप को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्री गंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति० जिला कलेक्टर (प्रशासन)
अति० जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन), श्रीगंगानगर